

VS-100
18.12.23

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
(प्रश्न शाखा)

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023-2024 | 130-134

दिनांक 15-12-2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या - 100 दिनांक 18 मार्च, 2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 08/12/2023
जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

उप-निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023-2024

दिनांक

1. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
2. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-110054
3. निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 ।
4. निजी सहायक, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 ।

उप-निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

समाज कल्याण विभाग
सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 100
दिनांक - 18/12/2023
प्रश्नकर्ता - श्री राजेंद्र पाल गौतम

क्या मानीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न		उत्तर					
(क)		दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दियांग पेंशन, ओल्ड ऐज पेंशन या दून टार्डम फैमिली बेनिफिट स्कीम में कितने को पेंशन केन्द्र सरकार शेर देते हैं, उसमें दिल्ली सरकार का कितना शेर है, और केन्द्र सरकार का कितना शेर है;					
(ख)		यया यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं में अपना शेर अब तक नहीं दिया है; और					
(ग)		यदि हों, तो इसके क्या कारण हैं?					

योजनानुसार केन्द्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के शेर का वार्षिक निम्न प्रकार है -					
योजना	कुल लाभार्थी (केन्द्र)	आयु वर्ग	राज्य सरकार शेर (रुपये में)	केन्द्र सरकार शेर (रुपये में)	सरकार
वृद्धावस्था	119403	60-69	1800	200	
		70-79	2300	200	
		80+	2000	500	
विवेकलाग	6321	-	2200	300	
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	2270	18-60	-	20000/-	एकमुस्त सहायता राशि